इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2012—चैत्र 1, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2012

क्र. 7763-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 21 मार्च 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१२

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१२

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २० का स्थापन.

२. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ४ सन् २००९) की धारा २० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कुलसचिव.

"२०. कुलसचिव पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह बोर्ड के तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा, और वह किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय के अपर संचालक से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी होगा, तथा वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में कृषि विश्वविद्यालय को प्रभावी रूप से चलाने की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि इस विश्वविद्यालय का कुल सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का कोई अनुभवी अधिकारी हो. अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ४ सन् २००९) की धारा २० में यथोचित संशोधन किया जाये जिससे कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय के अपर संचालक से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुल सचिव हो सके.

२ अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १४ मार्च, २०१२.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2012—चैत्र 2, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2012

क्र. 1798-106-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8, सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 8 OF 2012.

THE RAJMATA VIJAYA RAJE SCINDIA KRISHI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Substitution of Section 20.

2. For Section 20 of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009), the following section shall be substituted, namely:—

Registrar.

"20. The Registrar shall be whole-time salaried Officer and shall act as the Secretary of the Board and the Academic Council, and he shall be an Officer not below the rank of Additional Director of Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development and he shall be appointed by the State Government, and he shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes and Regulations.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to effectively run the Agriculture University in the State, it is necessary that the Registrar of such University should be an experienced Officer of the Farmer Welfare and Agriculture Development Department. Therefore, it is decided to make suitable amendment in Section 20 of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009) so that the Registrar of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior shall be an Officer not below the rank of Additional Director of the Directorate of Farmer Welfae and Agriculture Development.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 14th March, 2012.

DR. RAMKRISHNA KUSMARIYA,
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.